

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-965 / 2014 / चुरु

मै0 चुरु उद्योग,
हनुमानगढी रोड, चुरु

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय प्रतिकरापवंचन, भरतपुर

.... प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शफी मौहम्मद चौहान,

अधिकृत अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी-राजस्व की ओर से

निर्णय

दिनांक: 12-9-2018

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 459/आरवैट/चुरु/2012-13 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंच, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति रुपये 57,642/-को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर द्वारा दिनांक 20.01.2013 को वाहन संख्या आरजे-14जीडी-8700 को नेशनल हाईवे 11 लुधावई टोल प्लाजा पर रोक कर चैक किया। वक्त जांच वाहन में माल शीशम चिरान व आम चिरान बलरापुर(उ0प्र0) से चुरु(राज0) के लिये परिवहन किया जाना पाया गया। वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बीकानेर जोधपुर रोडवेज की जी. आर नं0 2232 दिनांक 18.01.2013 मैसर्स छेदीलाल जायसवाल कॉन्ट्रेक्टर टिम्बर मर्चेंट एण्ड कमीशन एजेन्ट, बिजलीपुर, बलरामपुर(उ0प्र0) द्वारा मै0 चुरु उद्योग चुरु (राज0)को जारी किया हुआ है तथा बिल नं0 95 टिन नं0 08781451680 दिनांक 18.01.2013 व वैट 47 नं0 3677043(जारी दिनांक 26.10.2010) आदि जांच अधिकारी के समक्ष किये गये। जांच अधिकारी ने प्रपत्रों की जांच करने पर पाया कि उक्त घोषणा पत्र वेट47 जो कि विभाग से दिनांक 26.10.2010 को जारी करवाया गया है एवं इसकी अवधि दो वर्ष होने के कारण अवधिपार हो जाने के कारण वेट 47 के कॉलम पंच नहीं किये जाने के कारण अधिनियम के नियम 53 की धारा धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन है। इस कारण जांच अधिकारी ने प्रस्तावित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण को उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, भरतपुर के आदेशानुसार पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली को दर्ज किया जाकर अवधिपार व अपूर्ण भरा घोषणा होने व राज्य में अधिसूचित वस्तु का आयात के कारण अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में

अपीलार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब के साथ नया घोषणा पत्र प्रपत्र वेट-47 नं. 3677046 पेश किया जिसकी वैधता अवधि 25.10.2013 तक बढ़ायी हुई थी। प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए माल कीमतन रुपये 1,92,138/- पर 30 प्रतिशत से शास्ति रुपये 57,642/- अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को यथावता रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि माल के साथ वांछित दस्तावेज बिल,बिल्टी एवं घोषणा पत्र वक्त जांच उलब्ध थे। अपीलार्थी व्यवहारी ने माल मंगाने हेतु विक्रेता को वेट 47 भेज दिया था। व्यवहारी के ज्ञान में नहीं था कि वेट 47 दिनांक 26.10.2010 को मियाद बाहर हो जायेगा। यह मात्र एक भूल है जो कि तकनिकी भूल की श्रेणी में जाती है। नोटिस की पालना में वेट 47 नं0 3677046 प्रस्तुत कर दिया था। व्यवहारी की कोई कर चोरी की मंशा नहीं थी क्योंकि व्यवहारी ने आयातित माल का इन्द्राज अपनी लेखा पुस्तकों में किया है। अग्रिम तर्क किया कि अभियोग की सुनवाई के समय अवधिपार वैट 47 की जगह नया वेट 47 प्रस्तुत कर दिया था जिसे स्वीकार नहीं कर कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित मै0 डी.पी.मैटल 124 एसटीसी पेज 611 का हवाला दिया जिसमें यह स्पष्ट कर दिया कि उचित कारणों से घोषणा प्रपत्र संलग्न न किया गया हो एवं जवाब के साथ पेश कर दिया हो तो शास्ति आरोपित नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में व्यवहारी के परिवहनित माल के संबंध में धारा 76(2) का उल्लंघन करना प्रमाणित नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।


6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर द्वारा दिनांक 20.01.2013 को वाहन संख्या आरजे-14जीडी-8700 को नेशनल हाईवे 11 लुधावई टोल प्लाजा पर रोक कर चैक किया। वक्त जांच वाहन में माल शीशम चिरान व आम चिरान बलरापुर(उ0प्र0) से चुरु(राज0) के लिये परिवहन किया जाना पाया गया। वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बीकानेर जोधपुर रोडवेज की जी.आर नं0 2232 दिनांक 18.01.2013 मैसर्स छेदीलाल जायसवाल कॉन्ट्रेक्टर टिम्बर मर्वेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट, बिजलीपुर, बलरामपुर(उ0प्र0) द्वारा मै0 चुरु उद्योग चुरु (राज0)को जारी किया हुआ है तथा बिल नं0 95 टिन नं0 08781451680 दिनांक 18.01.2013 व वैट 47 नं0 3677043(जारी दिनांक 26.10.2010) आदि जांच अधिकारी के समक्ष किये गये। जांच अधिकारी ने प्रपत्रों की जांच करने पर पाया कि उक्त घोषणा पत्र वेट47 जो कि विभाग से दिनांक 26.10.2010 को जारी करवाया गया है एवं इसकी अवधि दो वर्ष होने के कारण अवधिपार हो जाने के कारण वेट 47 के कॉलम पंच नहीं किये जाने के कारण अधिनियम के नियम 53 की धारा धारा

76(2)(बी) का उल्लंघन है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत उक्त घोषण प्रपत्र वेट-47 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की समयावधि के लिये इसे पुनः विधिमान्य किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब के साथ नया घोषणा पत्र प्रपत्र वेट-47 नं. 3677046 पेश किया जिसकी वैधता अवधि 25.10.2013 तक बढ़ायी हुई थी। प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए माल कीमतन रुपये 1,92,138/- पर 30 प्रतिशत से शास्ति रुपये 57,642/- अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित की। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द्र जैन एण्ड कम्पनी एसटीसी 2000 पेज 212 निर्णय दिनांक 02.03.2000 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान बिक्री अधिनियम 1994 व राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 के अधीन जारी फॉर्म एसटी18ए की वैधता जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक होती है किन्तु उक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात् इसे एक वर्ष की अवधि के लिये पुनः विधिमान्य किया जा सकता है तब शास्ति का आरोपण उचित नहीं है।" राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन- द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आरटीआर 26 में अवधि पार घोषणा प्ररूप वेट-47 की प्रस्तुत को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। न्यायिक दृष्टांत **ACTO, AE, WARD II, BANSWARA VS. M/S J.M.C. PROJECTS(e) Ltd. Udaipur Tax Update 40 Pg 9**, विजयलक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशन, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा एवं अन्य **VAT reporter pg 154** तथा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2316/2011/उदयपुर मैसर्स जे.पी. फूड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर **TAX Update 35 Pg. 317** में भी विवाद बिन्दु वर्तमान प्रकरण के समान निहित था। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी शास्ति का आरोपण अनुचित माना गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मै. डी.पी.मेटल 124 एसटीसी पेज 611 में भी यह अवधारित किया है कि उचित कारणों से घोषणा पत्र शामिल न किया हो एवं जवाब के साथ पेश कर दिया हो तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में उक्त विवादित बिन्दु के संबंध में अपीलार्थी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 विधि सम्मत नहीं है तथा पूर्व में दिनांक 26.01.2010 को जारी वैट-47 जिसकी वैधता 25.10.2013 तक बढ़ाई हुई है, प्रस्तुत करने के कारण शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य